

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता विस्तार-E/2026-27/0365

लखनऊ: दिनांक: 23-06-2026

:-कार्यालय ज्ञाप:-

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 14/2026/आई/1196159/2026/16-3099/96/2025, दिनांक: 06.01.2026 के अनुक्रम में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत सत्र 2026-27 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु 03 वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1998-RAJIV ACADEMY FOR PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2026-27 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2026-27 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2026-27 हेतु EWS सहित अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60	66

Digitally signed by
SANTOSH KUMAR SINGH
Date: 23-06-2026
16:53:39

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता विस्तार-E/2026-27/0366

तद्विनांक 23-06-2026

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष/निदेशक/प्रधानाचार्य, RAJIV ACADEMY FOR PHARMACY

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)
सचिव

सम्बद्धता हेतु शर्तें

1. संस्था को प्रदत्त 03 वर्षीय सम्बद्धता विस्तार फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाने वाले अनुमोदन विस्तार के अधीन होगी। अतः संस्था को प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान पृथक् रूप से, नियत समयावधि में करना अनिवार्य होगा। यदि संस्था द्वारा संबंधित सत्र हेतु पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित सम्बद्धता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस सत्र हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः प्रभावहीन/निरस्त मानी जायेगी तथा संस्था को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. यदि नियामक संस्था यथा पी०सी०आई० द्वारा संस्था को अनुमोदन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित शैक्षिक सत्र/सत्रों हेतु परिषद का सम्बद्धता विस्तार स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. शासनादेश संख्या: 106/2025/आई/1086327/2025/16-3099/154/2025, दिनांक: 12.09.2025 में निहित प्राविधानानुसार संस्था को SIRF भरना अनिवार्य होगा।
4. संस्था फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
5. संस्था में पी०सी०आई० के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब, उपकरण आदि) उपलब्ध होना अनिवार्य है।
6. संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962, प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियामावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
7. संस्था प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2026-27 हेतु फीस का निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
8. संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।
9. संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
10. संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों, निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
11. यदि संस्थान का पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
12. संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं दी जायेगी।
13. संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
14. संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू-राईज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
15. संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
17. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
18. संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
19. संस्था में पी०सी०आई०, नई दिल्ली के मानकानुसार शैक्षिक स्टाफ होना अनिवार्य है।
20. सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Digitally signed by
SANTOSH KUMAR SINGH

Date: 23-06-2026

16:53:39

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)
सचिव